GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
DEPARTMENT OF EX-SERVICEMEN WELFARE
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 843
TO BE ANSWERED ON 28th July, 2025

ARREARS UNDER OROP

843 DR. V. SIVADASAN:

Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) whether all the arrears have been paid under One Rank One Pension (DROP) Scheme;
(b) the amount allocated and spent by Government to pay the arrears for the OROP scheme during the last three years; and
(c) the amount of arrears pending for payment to the ex-service personnel?

A N S W E R

MINISTER OF STATE (SHRI SANJAY SETH)
IN THE MINISTRY OF DEFENCE

(a) Arrears on account of OROP-I and OROP-II have already been paid to all eligible beneficiaries of Defence Forces Personnel. However, the revision of pension and arrears thereof have been paid to 25.20 lakh eligible pensioner under OROP-III.
(b) No separate budget head is allocated for making the payment of arrears under OROP. However, an amount of Rs. 16,925.20 Crores have been paid on account of arrears upto March, 2024 under OROP-II and an amount of Rs. 1,271.74 Crore have been paid as payment of arrears till 18.07.2025 under OROP-III.
(c) The amount of arrears pending for payment is dynamic and ascertained as per the revision of pension of Ex-Servicemen received by the disbursing agency.

*****

:_: www.staffnews.in :_:

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 843

28 जुलाई, 2025 को उत्तर के लिए

ओआरओपी के अंतर्गत बकाया

843.डा. वी. शिवादासन:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना के अंतर्गत सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान ओआरओपी योजना के बकाया भुगतान के लिए सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित और व्यय की गई है; और

(ग) पूर्व सैन्य कर्मियों को भुगतान हेतु लंबित बकाया राशि कितनी है?

उत्तर

रक्षामंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री संजय सेठ)

(क) ओआरओपी-I और ओआरओपी-II के अंतर्गत रक्षा बल कार्मिकों के सभी पात्र लाभार्थियों को बकाया राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। हालांकि, पेंशन के संशोधन और उसकी बकाया राशि का भुगतान 25.20 लाख पात्र पेंशनभोगियों को ओआरओपी-III के तहत किया जा चुका है।

(ख) ओआरओपी के अंतर्गत बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कोई पृथक बजट शीर्ष आवंटित नहीं किया गया है। तथापि, ओआरओपी-II के अंतर्गत मार्च 2024 तक बकाया राशि के रूप में 16,925.20 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है और ओआरओपी-

:_: www.staffnews.in :_:

III के अंतर्गत 18.07.2025 तक 1,271.74 करोड़ रुपए की बकाया राशि का भुगतान किया जा चुका है।

(ग) भुगतान के लिए लंबित बकाया राशि परिवर्ती (डायनेमिक) होती है और भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन के संशोधन के अनुसार, प्राप्त जानकारी के आधार पर संवितरण एजेंसी द्वारा निर्धारित की जाती है।

*****

:_: www.staffnews.in :_: